फर्द अहकाम

बनाम

आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
117	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत में [illegible] पेश हुई। वकील वादी उपस्थित वादी [illegible] [illegible] तहसीलदार [illegible] [illegible] खसरा पेश किया गया, [illegible] पत्रावली किया गया। वकील वादी द्वारा मुताबिक नक्शा खुदकाश्त के [illegible] डिक्री किया जाने का निवेदन किया। वकील वादी की बहस को सुना गया। पत्रावली व तमाम नक्शा खुदकाश्त का अवलोकन किया गया। बाद बहस वादी का वाद मुताबिक नक्शा खुदकाश्त [illegible] डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक नक्शा खुदकाश्त [illegible] रूप से डिक्री किया जाता है। [illegible] [illegible] मुताबिक [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली हो [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] में [illegible] हो।	श्रीरामनिवास

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर

राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट अभियान "न्याय आपके द्वार" शिविर–2017
अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झाग, तहसील मौजमाबाद
शिविर प्रभारी अधिकारी– **श्री त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.**

स्व वाद–पत्र संख्या : 106/2015
दायरी दिनांक : 20/07/2015
र्णय दिनांक : 19/05/2017

राम मीणा पुत्र सीताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद, ला जयपुर राज0।

–– वादी

बनाम

1. प्रभात पुत्र सीताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
2. कन्हैयालाल पुत्र श्री सीताराम मीणा, जाति मीणा, निवासी ग्राम झाग, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
3. तहसीलदार मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0।
4. उपपंजीयक मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

–– प्रतिवादीगण

वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955)

उपस्थिति – **श्री हरीश कुमार साहू**
विद्वान अधिवक्ता वादी

प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 19/05/2017

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत तकासमा आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 568 के आराजी खसरा नम्बर 106 रकबा 1.4700 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 107 रकबा 1.2800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 108 रकबा 0.8600 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 3.6100 भूमि वाके ग्राम झाग, पटवार हल्का झाग, भू0अभि0नि0 क्षैत्र गंगाती कलां तह0 मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान में स्थित हैं जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का 1/3 – 1/3 हिस्सा हैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 इसी हिस्सेनुसार अपने–अपने हिस्से पर आयी भूमि ाका बाहमी बंटवारा करके मौके पर काबिज काश्त होकर लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 संयुक्त रूप से आपस में

Scanned by CamScanner

सहकाश्तकार होकर उक्त आराजी भूमि पर अपने–अपने हिस्से को बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। वादी ने अपने हिस्से की आराजी को काफी पैसा व मेहनत कर उपजाऊ व उन्नत बना लिया हैं जिससे प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। विवादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में विधिवत तकासमा एवं तरमीम नहीं होने से पक्षकारान के मध्य काश्त के समय आये दिन मेरकोर एवं सीमाओं को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता हौ इसलिये वादी अपने हिस्से की आराजी को मौके एवं हिस्सेानुसार राजस्व रिकार्ड में वास्तविक भौतिक कब्जे को आधार पर खाता अलहदा – अलहदा करवाना चाहता हैं। जिससे वादी अपने हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त कर सके तथा राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले सके। वादी ने अपने हिस्से की आराजी में काफी पैसा खर्च करके आराजी को उन्नत एवं उपजाऊ बना ली है तथा अभी हाल ही में जमीनों की कीमतें बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण की नीयत में फितूर उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादी की कब्जे शुदा आराजी को अपनी बताकर दीगर व्यक्तियों को बिना विभाजन करवाये बेचान करने की फिराक में है। अभी हाल ही में दिनांक 10.07.2015 को वादी अपने हिस्से की आराजी में बोई हुई फसल की देखभाल करने मौके पर गया तो प्रतिवादी संख्या 01 व 02 कुछ अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आराजी पर आये तथा वादी के कब्जे की भूमि की और इशारा करते हुये बेचान की बातचीत करने लगे एवं वादी द्वारा पूछने पर नाराज होते हुये वादी को ऐलानियां धमकी दी है कि आराजी को बिना तकासमें के ही दीगर व्यक्ति को बेचान कर देंगे और तुम्हारे कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल कर देंगे इसलिए वादी को अपने हक हकूकों की रक्षार्थ यह वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण का पेश करना लाजमी आया है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी वर्णित मद नम्बर 1 वाद पत्र दर्ज हिस्से एवं वास्तविक भौतिक कब्जे अनुसार तकासमा एवं तरमीम एवं खाता अलहदा अलहदा एवं लगान की फेटबंदी किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गयी।

दिनांक 19/05/2017 को पत्रावली कैम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झाग में पेश हुई। कैम्प में वादी उपस्थित हुआ। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल के कैम्प में उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में

Scanned by CamScanner

लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 फोरमल पक्षकार है, जिनकी ओर से पैरोकार ने उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस कैम्प में मजमे आम में सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी व पैरोकार राज की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र, दस्तावेजात नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 568 व नक्शा ट्रेस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 के खाता संख्या 568 के अनुसार विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं तथा आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि विवादित आराजी विधिवत रूप से अविभाजित आराजीयात हैं तथा विवादित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ल. 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल कैम्प में न तो स्वंय उपस्थित हुये न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुये तथा न ही कोई आपत्ति पेश हुयी, जिससे उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी है, इसलिये उपर्युक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर पक्षकारान के मध्य विवादित आराजी का विधिवत रूप से विभाजन किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खाता संख्या 568 के आराजी खसरा नम्बर 106, 107, 108 कुल किता 03 कुल रकबा 3.6100 हैक्टेयर वाके ग्राम झाग, पटवार हल्का झाग, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स (अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी) के सिद्धान्त के अनुसार तकासमा किया जाकर खाता अलहदा–अलहदा किया जाता हैं। तहसीलदार मौजमाबाद को नक्शे कुरेजात दो प्रतियों में तैयार कर भिजवाने हेतु लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/05/2017 को कैम्प अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत झाग में मजमे आम में सुनाया गया।

मुद्रा

शिविर प्रभारी / सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू जिला जयपुर राज0।

Scanned by CamScanner

राज पंचायत प्रकाशन, जयपुर-3 फोन : 3[illegible]

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

सामान्य डिक्री

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

[illegible] बनाम 1. [illegible] 2. [illegible] दावा बाबत [illegible]

मुकदमा नं. 106/2015

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री हरीश कुमार जाट

मिनजानिब मुद्दई रूबरू

मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म किया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

1. वादी का वाद सामान्य डिक्री किया जाकर विवादित 1 दावा रु. 3[illegible] का [illegible] रु. 106, 107, 108 कुल किस्त 03 @ 2,600 each वास्ते [illegible] पक्षकार [illegible] 5 फिल्म जायज का वादी [illegible] 12 [illegible] 105 बाईक [illegible] के [illegible] के [illegible] किया जाकर दावा अलावा अलावा किया जाता है

मुद्दायलह को मुद्दई को [illegible] तक का अदा करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 5 सन् 2017 को

दस्तखत

ओहदा सहायक कलक्टर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
त नामा			स्टाम्प अर्जी		
सबूत			महन्ताना वकील		
ल			खर्चा गवाहान		
			फीस कमिश्नर		
			बाबत इजराय हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर

फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner